pending. A list of such requests is given in Annexure. [*See* Appendix CLIV, Annexure No. 34].

सरोजनी नगर में दुकानों का आबंटन

581. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा निदेशालय ने नई दिल्ली में सरोजिनी नगर स्थित बाबू मार्केट में तथा सरोजिनी नगर मुख्य मार्केट में अभी तक कितनी दुकाने आवंटित की गई हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आवंटित की गई दुकानों तथा कुल आवंटित की गई दुकानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या कुछ दुकानें अभी तक भी आवंटित नहीं की गई हैं और यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इनका आवंटन किए जाने की संभावना है; यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में अनाथालयों की संख्या

582. **डा. अबरार अहमद खान :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार अनाथालयों की संख्या कितनी है और इनमें कितने बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार अनाथालयों में रह रहे विद्यार्थियों को स्कूलों में, प्रवेश में प्राथमिकता देने अथवा आरक्षण देने, छात्रवृत्ति, मुफ्त वर्दी अथवा किताबें आदि उपलब्ध कराने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अनाथालयों में रह कर पढ़ने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है अथवा आरक्षण प्रदान किया जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई विधान लाने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनाथालय में रह रहे बच्चों का उत्पीड़न न किया जाये तथा उन्हें बेचा न जाये, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें निराश्रित बाल गृहों को चलाने के लिए सहायक-अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों की राज्य-वार संख्या तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या दी गई है।

(ख) योजना के अन्तर्गत, संस्थाओं के अन्दर तथा बाहर, दोनों के लिए विद्यमान अवसंरचना के माध्यम से बच्चों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है बच्चों को समुदाय के सामान्य सदस्यों के ही समान बढ़ोत्तरी तथा विकास प्रदान करने के लिए उन्हें समुदाय के साथ जोड़ना।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अनाथालयों से बच्चों के लिए कोई विशेष आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। आरक्षणों से संबंधित सामान्य सुविधायें तथा आय प्रावधान उन पर लागू होते हैं।

(घ) इन गृहों के कार्यकरण को राज्य सरकारों द्वारा आवधिक निरीक्षणों तथा दौरों और नियमित विवरणियों के माध्यम से मानीटर किया जाता है।